(विस्तृत विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– XV में संदर्भित)

भाग–II

खण्ड– (क)

–शुन्य–

खण्ड– (ख)

कंडिका 01– अंकेक्षण के दौरान जमा राशि रू 11.84 लाख

नगर परिषद जमालपुर में विविध रसीद एवं गृहकर रसीद से दैनिक संग्रहण किया गया राशि वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा नही किया गया था। (विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट– III)

नगर परिषद, जमालपुर के कर संग्राहको द्वारा M-रसीद एवं H-रसीद से वसूल की गयी रोकड़पाल द्वारा चालान संख्या 11 राशि रू 145580.00, चालान संख्या 12 राशि रू 272178, चालान संख्या 13 राशि रू 357817.00 एवं चालान संख्या 14 राशि रू 408309.00 दिनांक 26.05.2016 को कोषागार मुंगेर जमा कराया गया। कुल राशि रू 1183884.00 नगर परिषद निधि खाता संख्या को जमा की गयी थी। कोषागार पासबुक में जमा संबंधी इंद्राज अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

कंडिका 02–M-रसीद एवं H-रसीद से प्राप्त वसूली जमा नही राशि रू 1.58 लाख

नगर परिषद जमालपुर में M-रसीद एवं H-रसीद से दैनिक संग्रहण किया गया राशि वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा नहीं किया गया था। (विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट– III)

नगर परिषद जमालपुर में कर संग्राहक द्वारा M-रसीद एवं H-रसीद से प्राप्त की गयी राशि रू 158335.00 रोकड़पाल के पास जमा किया गया था। जिसे रोकड़पाल द्वारा जमा नही किया गया था। जिसे अविलम्ब नगर परिषद कोष में जमा किया जाय।

जवाब में बताया गया कि यह राशि रोकड़पाल द्वारा जमा किया जा रहा है। नगर परिषद कोष में जमा कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः रोकड़पाल द्वारा शीघ्र जमा कर बैंक जमा पर्ची एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

कंडिका–03 L.E.D Light and High Mast Light के कय में अनियमित भुगतान (राशि रू 413.47 लाख)

नगर परिषद जमालपुर क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मदों से रोशनी व्यवस्था हेतु L.E.D Light and High Mask Light का कंय किया गया है। सामग्री का कय करने के लिए नगर परिषद द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया जिसे दिनांक 07.02.2013 को 3.00 बजे कय निविदा समिति के समक्ष खोला गया था। जिसमें निम्नतर दर होने के कारण M/s Harsh Enterprises, Gandhinagar, Kankarbagh Patna आपूर्तिकर्ता को स्वीकृत किया है। आपूर्तिकर्ता को राशि रू 41347907.00 भुगतान किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट– IV)

आपूर्तिकर्ता को एकरारनामा के अनुसार निम्न प्रकार शर्ते थी:–

1 सामग्री की गुणवता निविदा एवं सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार आई.एस.आई. मानक के अनुरूप होगा।

2 08 मीटर स्ट्रीट L.E.D लाईट के साथ बजाज/हेवल्स/कम्पटन/बी0पी0 में किसी एक कंपनी की ही होनी चाहिए थी।

3 कार्यादेश के अनुसार अधिष्ठापन के पूर्व लगाये जाने वाले सामग्री की जॉच नगर परिषद के इंजिनियर द्वारा की जाएगी तथा इनके अनुमोदन के पश्चात् ही अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

4 कोटेशन के अनुसार 03 कम्पनी प्रकाश इलेक्ट्रीकल्स पटना, रिया इन्टर प्राईजेज पटना एवं हर्ष इन्टर प्राईजेज पटना दिया गया था। जिसमें रिया इन्टर प्राईजेज एवं प्रकाश इन्टर प्राईजेज द्वारा सामग्री का विवरण एवं उसकी गुणवत्ता का विवरण नही दिया गया है। सामग्री की गुणवता की तुलना न्यूनतम दर के अनुसार किया जाना था जबकि कम्पनी के द्वारा सिर्फ सामग्री का नाम दिया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति

1 कम्पनी द्वारा जारी किया गया सामग्री का गारंटी/वारंटी कार्ड संलग्न नहीं किया गया था।

2 स्टॉक पंजी का संधारण नही किया गया है। सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र संलग्न नही था।

3 कोटेशन के अनुसार तीन कम्पनी का सामग्री की गुणवत्ता की तुलनात्मक न्यूनतम दर के अनुसार क्रय नहीं किया गया है। कम्पनी के द्वारा सामग्री का विवरण एवं उनकी गुणवत्ता नहीं दिया गया है।

4 अधिष्ठापन से संबंधित तकनीकी अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन संलग्न नहीं था।

5 L.E.D लाईट का क्रय एवं बजाज/हेवल्स/कम्पटन/बी0 पी0 कम्पनी का किसी भी प्रमाण पत्र संलग्न नही था।

6 एक ही बार 03 आपूर्तिकर्ता का कोटेशन प्राप्त कर बार– बार M/s Harsh enterprises, Gandhinagar, Kankarbagh Patna आपूर्तिकर्ता से सामग्री का क्रय लगातार किया जा रहा था।

7 सामग्री गुणवता की जांच प्रतिवेदन संलग्न नही था।

8 विपत्र का 2.5 प्रतिशत राशि 02 वर्षो के लिए सुरक्षित जमा रखा जाना है लेकिन सुरक्षित जमा राशि निविदा दाता के द्वारा प्राप्त नही कर विपत्रो के भुगतान से कटौती की जा रही थी। सुरक्षित जमा राशि निविदादाता से अग्रिम में प्राप्त नही किया गया था।

9 अधिष्ठापन के बाद नगर परिषद के उच्च अधिकारी एवं तकनीकी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन संलग्न नही था।

10 कोटेशन के अनुसार 03 कम्पनी का सामग्री की गुणवता की तुलनात्मक विवरणी न्युनतम दर के अनुसार नहीं किया गया था

क.सं.	निविदा दाताओं का नाम	उपकरण का विवरण
1	Harsh enterprises	विवरणी संलग्न
2	Prakash electrical	विवरणी संलग्न नहीं
3	Riya enterprises	विवरणी संलग्न नहीं

सभी 03 कम्पनी के द्वारा कोटेशन दिया गया था जिसमें सिर्फ एक कम्पनी द्वारा सामग्री का विवरण एवं उनकी गुणवता दिया गया था। अन्य 02 कम्पनी द्वारा कोटेशन में सामग्री का विवरण एवं गुणवता नही दिया गया था जिसके कारण सभी तीनों कम्पनियों का सामग्री का तुलनात्मक निम्नतर दर स्वीकृत नही कर विभाग द्वारा एकल निविदा द्वारा क्रय किया गया था।

एकल निविदा पर क्रय– बिहार वित्तीय नियमावली खंड–। के नियम 30(6)(क) के अनुसार यदि किसी कार्य के लिए प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त हो तो पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

यदि पुनः एकल निविदा ही प्राप्ति हो और कार्य का कियान्वयन आवश्यक हो तो बिहार लोक निर्माण संहिता के खंड–1 के नियम 163 के अनुसार तो उसकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से एक स्तर उपर के पदाधिकारी द्वारा ली जानी चाहिए। इसका मतलब है कि तकनीकी निविदा की स्वीकृति योजना के तकनीकी स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी से उपर के स्तर के पदाधिकारी एवं वित्तीय निविदा की स्वीकृति विभाग के प्रशासनिक/कार्यपालक पदाधिकारी के उपर के स्तर के पदाधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए थी। अतः सामग्री पर किया गया व्यय राशि रू 41347907.00 अनियमित था।

जवाब में बताया गया कि सामग्री का गारंटी/वारंटी की अवधि एकरारनामा में अंकित है। किसी भी प्रकार की खराबी आने पर दो वर्षो तक फर्म द्वारा रख– रखाव करने का प्रावधान किया गया है। समान गुणवता वाले फर्मो से प्राप्त कोटेशन के आधार पर न्यूनतम दर वाले फर्म की निविदा स्वीकृत की गई है। सभी अधिष्ठापन कार्य के मापी पुस्तिका पर कनीय अभियन्ता, सहायक एवं कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित है। स्टाक पंजी का संधारण कर लिया जाएगा।

जवाब तर्क संगत नहीं है क्योंकि तीनों कम्पनियों के कोटेशन के आधार पर निम्नतर दर नहीं किया जा सकता क्योंकि 02 कम्पनियों द्वारा कोटेशन में सामग्री की विवरणी एवं गुणवता नहीं दिया गया था। अतः सामग्री का कय एवं अधिष्ठापन का उच्चाधिकारी से जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय। प्रतिवेदन प्राप्त होने तक व्यय राशि रू 41347907.00 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 04 उपकरणों/मशीनों के कय पर अलाभकारी व्यय रू 79.93 लाख

नगर परिषद जमालपुर में उपकरणों/मशीनों की स्टॉक पंजी, लॉग बुक कय अभिश्रव इत्यादि के जॉचोंपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद के पास 05 जेसीबी मशीन/पे लोडर एवं 09 टीपर/हुपर मौजूद है। जिसको निम्न घंटों/डीजल का खपत का उपयोग किया गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	सामग्री का नाम	विभागीय कय	उपकरण का मूल्य	खरीद की दिनांक	कार्य की अवधि	अभ्युक्ति
01	JCB-3DX excavator leader machine no. 1379540	नगर परिषद जमालपुर	1848000	10.10.09	68 घंटे 21.05.14 के बाद उपयोग नही	18.03.13 से 21.05.14 तक मात्र 45 मिनट चली, **अर्थात 02 वर्षो से बंद है।**
02	JCB-3DX excavator leader machine no. 1488533	नगर विकास एवं आवास विभाग	1850688	01.12.12	1021 घंटे	
03	JCB Mini pay loader-1 machine no. wsp 01604395	नगर परिषद जमालपुर	1490000	25.03.10	230 घंटे	02.05.10 से 25.03.13 तक **अर्थात 03 वर्षो से बंद है।**
04	JCB Mini pay loader-1 machine no. wsj 01604349	नगर परिषद जमालपुर	1490000	29.03.10	305 घंटे	08.04.10 से 11.03.16 तक
05	Mahindra pay loader-1	नगर परिषद जमालपुर	1325000	12.10.09	104 घंटे	21.05.10 से 07.06.11 तक चली, **अर्थात 05 वर्षो से बंद है।**

	Agricultural tractor machine no. NTCE 1581					
06	Hydrolic Tiper Br 08G-2086	नगर परिषद जमालपुर	308513	20.06.13	96 लीटर डीजल उपयोग	03.02.16 से 25.04.16
07	Hydrolic Tiper Br 08G-2087	नगर परिषद जमालपुर	308513	20.06.13	76.05 लीटर डीजल उपयोग	10.09.14 से 02.04.16
08	Hydrolic Huper Br 08G-2084	नगर परिषद जमालपुर	305920	20.06.13	54 लीटर डीजल उपयोग	23.06.14 से 08.02.16
09	Hydrolic Huper Br 08G-2085	नगर परिषद जमालपुर	305920	20.06.13	121 लीटर डीजल उपयोग	23.06.14 से 20.04.16
10	Hydrolic Huper Br 08G-2088	नगर परिषद जमालपुर	305920	20.06.13	39 लीटर डीजल उपयोग	23.06.14 से 04.02.16
11	Hydrolic Huper Br 08G-2089	नगर परिषद जमालपुर	305920	20.06.13	436 लीटर डीजल उपयोग	23.06.14 से 18.02.16
12	Hydrolic Huper Br 08G-2090	नगर परिषद जमालपुर	305920	20.06.13	12 लीटर डीजल उपयोग	23.06.14 से 17.09.14 तक चली, **अर्थात डेढ. वर्षों से बंद है।**
13	Hydrolic Huper Br 08G-2091	नगर परिषद जमालपुर	305920	20.06.13	111.50 लीटर डीजल उपयोग	23.06.14 से 08.07.15 तक चली, **अर्थात एक वर्ष से बंद है।**
14	Hydrolic Huper Br 08G-2092	नगर परिषद जमालपुर	305920	20.06.13	151.50 लीटर डीजल उपयोग	26.06.14 से 13.04.16 तक चली।

नगर परिषद जमालपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉगबुक के अनुसार कम संख्या 01 से 05 तक उपकरणों का सिर्फ 01 चालक मन्टु कुमार था। जिसके कारण 04 मशीनों का उपयोग नही हो पा रहा था। कम सं. 01 का कय करने के उपरान्त मात्र 68 घण्टे क.सं. 03 का 230 घंटे का उपयोग किया गया था। इसके उपरान्त लॉगबुक में इन्ट्री नहीं था। कम संख्या 06 से 14 तक का 09 हाईड्रोलिक हुपर/टीपर की खरीद दिनांक 26.06.13 को राशि रू 2758866.00 में कय किया गया था। जिसमें सिर्फ 03 हुपर/टीपर का उपयोग किया गया था एवं 06 हुपर/टीपर जिसका उपयोग लगभग 04 वर्षो में 12 लीटर से 121 लीटर डीजल का उपयोग कर कार्य किया गया था। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट V)

अंकेक्षण आपत्ति

1. कम संख्या 01 में वर्णित जेसीबी नगर परिषद द्वारा कय किया गया जेसीबी मशीन को मात्र 68 घंटे चलाया गया है जिसमें वर्ष 2014–15 में 45 मिनट ही चलाया गया था।

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, जमालपुर
जिला– मुंगेर

महाशय,

नगर परिषद, जमालपुर के वर्ष 2014–15 से 15–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 341 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर ज़िला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 /14629/389

दिनांक– 20/01/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुंगेर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर परिषद, जमालपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 341/16–17

भाग– I

कंडिका– 1

प्रस्तावना

नगर परिषद, जमालपुर के वर्ष 2014–15 से 2015–16 के लेखाओं की नमूना जॉच महालेखाकार, बिहार, पटना स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 11.05.2016 से 27.05.2016 तक किया गया।

कंडिका– 02

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–IA में एवं वैसे अभिलेख जो या तो संधारित नहीं किये गये या अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये कि सूची परिशिष्ट–IB मे दी गयी है।

कंडिका–03

प्रशासन

(i)	**अध्यक्ष**	**अवधि**
	श्री राजेश कुमार	01.04.2014 से 14.11.15
	रिक्त	15.11.15 से 04.01.16
	श्री बबलु पासवान	05.01.16 से अब तक
(ii)	**उपाध्यक्ष**	**अवधि**
	श्रीमती सत्यवती देवी	01.04.2014 से अब तक
(iii)	**कार्यपालक पदाधिकारी**	**अवधि**
	श्रीमती पूनम कुमारी	01.04.2013 से 27.01.2014
	श्री विरेन्द्र कुमार	27.01.2014 से 18.02.2014
	श्रीमती प्रतिभा कुमारी	18.02.2014 से 25.08.2015
	श्री दिनेश दयाल लाल	25.08.15 से अब तक

कंडिका–04

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन

नगर परिषद जमालपुर द्वारा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उनका अनुपालन वर्त्तमान लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप लंबित कंडिकाओं का निराकरण नहीं हो सका जिसकी स्थिति निम्नवत है–

क्र. सं.	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 / वर्ष	अवधि	कंडिका	निस्तारित कंडिका	बकाया कंडिका
1	11 / 09–10	2007–08	25	9	16
2	184 / 11–12	2008–09 से 09–10	25	10	15
3	470 / 12–13	2010–11 से 11–12	35	8	27
4	613 / 13–14	2012–13	28	7	21
5	505 / 14–15	2013–14	16	4	12
		कुल	129	38	91

अतः अंकेक्षण दल को यह नहीं बताया गया कि अधिनियम की धाराओं के अनुसार नगर पंचायत द्वारा कितने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सशक्त स्थायी समिति तथा नगर परिषद बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा गया तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी। साथ ही, पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन कर सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को भेजी जाएगी।

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन कर प्रतिवेदन लेखापरीक्षा बिहार कार्यालय को शीध्र भेजा जाय।

कंडिका–05

(क) वित्तीय अधिदृश्य (P/Lखाता) 2014–15 से 2015–16

	14-15	15-16
प्रारंभिक शेष	64159094	78418066
प्राप्ति	66662715	104035996
कुल प्राप्ति	130821809	182454062
व्यय	52403743	69738348
अवशेष राशि	78418066	112715714

(विस्तृत विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट–II में संदर्भित)

ट्रेजरी खाता संख्या – 048
ट्रेजरी – मुंगेर
31.03.2014 को राशि – ₹ 112873483

कंडिका–06

लेखापरीक्षा का परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गई राशि	1183884
2	लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझाई गई राशि	9105988
3	लेखापरीक्षा के आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	59209759

2. उपुर्यक्त उपकरणों/मशीनों को बहुत ही कम समय के लिए चलाया गया था। जिससे प्रतीत होता है कि मशीनों को आवश्यकता से अधिक क्रय कर रखा गया था।
3. क्रम संख्या 05 महिन्द्रा पे लोडर का लॉगबुक लेखापरीक्षा द्वारा बार– बार मॉगने पर उपलब्ध नही कराया गया। इससे प्रतीत होता है कि लॉगबुक का संधारण नही किया गया था।
4. क्रम संख्या 01, 03, 04 एवं 05 जेसीबी/पे लोडर उपकरणों/मशीनों का खरीद विवरण, कम्पनी का गारंटी एवं वारंटी, रजिस्ट्रेशन, बीमा का कागजात लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया था।
5. नगर परिषद में 09 टीपर/हुपर चलाने हेतु कितने ड्राईवर मौजूद है इसकी विवरणी उपलब्ध नही कराया गया।
6. टीपर/हुपर 09 का क्रय किया गया था जबकि 06 हुपर/टीपर का उपयोग लगभग नही के बराबर किया जा रहा था।
7. उपर्युक्त क्रम संख्या 01 से 14 तक का मशीनों/उपकरणों में से कितने चालू स्थिति एवं बंद स्थिति का विवरणी से अगवत नही कराया गया।
8. किसी भी लॉगबुक में सफाई निरीक्षक एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इन्द्राज को सत्यापित नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि नगर परिषद जमालपुर क्षेत्र अंतर्गत सफाई व्यवस्था के सृदृढीकरण हेतु सफाई उपकरणों/मशीनों का क्रय किया गया है। वर्तमान में नगर परिषद जमालपुर में एक पे–लोडर चालक सहित कुल 08 चालक उपलब्ध है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के पत्रांक–3475 दिनांक 14.11.14 द्वारा संविदा के आधार पर किसी भी कोटि के कर्मी की सेवा लेने पर रोक लगा देने के कारण नये चालको की बहाली नही हो पा रही है। हाईड्रोलिक टीपर/हॉपर जिसकी संख्या 09 है का क्रय घर–घर कूड़ा उठाव हेतु किया गया है जो प्रारंम्भ हो चुका है। महेन्द्रा पे–लोडर का लॉगबुक एवं उपकरणों के इंश्योरेंस/निबंधन से संबंधित कागजात उपलब्ध करा दिया जायेगा।

आवश्यकता नही रहने के बावजुद उपुर्यक्त मशीनों/ उपकरणों नगर परिषद के द्वारा क्रय किया गया था। जिसके कारण उपकरणों/मशीनों पर किया गया व्यय राशि रू 79.93 लाख अलाभकारी था। जिसकी जांच कर लेखापरीक्षा को अवगत करावें। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक व्यय किया गया राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0–5 मोबाईल टॉवर के अधिष्ठापन की भुल्क की वसूली नहीं राशि रू 28.79 लाख

Urban development & housing department के निर्देशानुसार Bihar communication towers and related structures rules, 2012 के ज्ञापांक 584 तिथि 21.02.12 के कंडिका 6(।) के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत अधिष्ठापित टावरों का पंजीयन शुल्क रू 40000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीनकरण फीस रू 10000 प्रतिवर्ष प्रति टावर देय होगा।

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विभिन्न टावर कम्पनियों के द्वारा कुल राशि रू 2879106.00 पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक नवीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया था। (विवरणी संलग्न परिशिष्ट– VI)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. नगर परिषद क्षेत्राधीन सभी अधिष्ठापित टावर कम्पनियों से राशि रू 2879106.00 वसूल किया जाय।

2. नियमावली की कंडिका 6(9) के अनुसार ऐसे टावर की फीस में जिस पर पंजीयन एवं नवीकरण शुल्क बकाया था नगर परिषद को अधिकार है कि टावर को सील करने का अधिकार है। नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावरों के अधिष्ठापन एवं नवीनीकरण की राशि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

जवाब में बताया गया कि नगर परिषद जमालपुर अन्तर्गत मोबाईल टावरों के अधिष्ठापन हेतु भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड, वोडाफोन स्पेशटेल प्रा0लि0 एवं रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा पंजीयन हेतु नोटिस की कारवाई एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई है। बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 की अधिसूचना सं0–3691 दिनांक 08.10.12 की कंडिका 6(2) के आलोक में इस नियम के प्रभावी होने के पूर्व स्थापित टावर को स्थापित करने के पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर पंजीयन एवं नवीकरण फीस जमा करनी है जिसका अनुपालन टावर कंपनियों द्वारा नहीं की जा रही है। अतः शीध्र कारवाई की जा रही है।

अतः नगर परिषद क्षेत्राधीन सभी अधिष्ठापित टावर कम्पनियों से राशि रू 2879106.00 वसूल कर नगर परिषद में जमा कराया जाय।

कंडिका सं. 6 विद्युत विपत्र में विलम्ब अधिभार बकाया का भुगतान राशि रू 1.06 लाख

न0वि0 एवं आ0वि0/बिहार सरकार के पत्रांक–688 दिनांक 11.03.13 एवं दिनांक 01.03.2013 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बकाया विद्युत विपत्र एवं होल्डिंग टैक्स के भुगतान के संबंध में लिए गये निर्णय के आलोक में कहा गया था कि विद्युत विपत्र की राशि से डी.पी.एस. की राशि छोड़कर केवल बकाया विद्युत विपत्र का भुगतान चतुर्थ राज्य वित आयोग एवं 13वीं वित आयोग के तहत वितीय वर्ष 2011–12 से 2012–13 में आवंटित राशि के विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान किया जाएगा तथा कंडिका सं0--3 के अनुसार नगर निकायों का होल्डिंग टैक्स के सूद की राशि को छोड़कर जो विद्युत वोर्ड से वसूलनीय है उसे अविलम्ब समायोजन कर विद्युत विपत्र का भुगतान किया जाएगा। (परिशिष्ट–VII)

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विद्युत विपत्र के अनुसार (डी.पी.एस. सहित) कुल राशि 726904.00 विभिन्न चेको के माध्यम से भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	चेक सं0/ दिनांक	राशि	विपत्र की राशि का भुगतान	डी.पी.एस. की राशि	विलम्ब की राशि
01	A 836688/22.07.14	508962	508962	39384	7271
02	A 083546/4.3.15	217402	217402	59817	—
		726364	726364	99201	7271

अंकेक्षण टिप्पणी

1. सरकार के निर्देशानुसार विद्युत विपत्र का भुगतान डी.पी.एस चार्ज की राशि छोड़कर भुगतान किया जाना था लेकिन बिना घटाये ही कुल रू 99201 डी.पी.एस. की भी राशि सरकार के निर्देश के विरूद्ध भुगतान किया गया था।
2. नगर परिषद जमालपुर के पत्रांक–242 दिनांक 24.02.14 के द्वारा नगर निकाय का विद्युत वोर्ड पर बकाये होल्डिंग की राशि ₹ 68022.00 समायोजन कर (सूद की राशि छोड़कर) शेष राशि का भुगतान किया जाना था लेकिन नही किया गया था।
3. विपत्र के अनुसार बिल की राशि Due date पर भुगतान नही किये जाने के कारण कुल राशि रू 7271.00 ससमय जमा नही करने के कारण बिलम्ब चार्ज का भुगतान किया गया था।

जवाब में बताया गया कि विद्युत विभाग द्वारा डी.पी.एस. की राशि जोड़कर विपत्र प्रस्तुत करने के कारण उक्त राशि का भुगतान हो गया है जिसका समायोजन अगले विपत्र से कर ली जाएगी तथा इस संबंध में विद्युत विभाग से पत्राचार किया जाएगा। विद्युत कार्यालय पर बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है जिसकी भी वसूली की जाएगी। ससमय विपत्र प्राप्त नही होने एवं पी0एल0 खाता से राशि के निकासी में अनावश्यक विलंब के कारण विलंब शुल्क का भुगतान किया गया है।

अतः डी.पी.एस. एवं विलम्ब शुल्क पर किया गया व्यय राशि रू 106472 (99201+ 7271) जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

कंडिका सं. 7 लैपटॉप कय में अनियमित व्यय राशि रू 9.24 लाख

न0वि0 एवं आ0वि0/बिहार सरकार के आवंटनादेश संख्या 136 दिनांक 14.02.15 द्वारा नगर निकायों के वार्ड पार्षदों को लैपटॉप/टेबलेट उपलब्ध कराने हेतु ई–गवर्नेस योजनान्तर्गत राशि का आवंटन किया गया था जिसके अन्तर्गत नगर परिषद जमालपुर के पत्रांक–948 दिनांक 20.07.15 द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 31.07.15 को कोटेशन आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई है। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में 08 फर्म द्वारा मुहरबंद कोटेशन प्राप्त हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

(i) NEECS (State services & Maintenance) III, Jagat Trade Centre Fraser road patna-1
(ii) Prachi infotech, Ashoka Tower Gurudwara road, Bhagalpur
(iii) Sun light Enterprises, Dharmshala road Sadar Bazar, Jamalpur
(iv) M/S-Satyendra Kumar, Laxmanpur, Jamalpur

उपरोक्त चारो फर्मो में से सबसे न्यूनतम दर क्रम संख्या–04 के फर्म को मो0 29200 प्रति अदद सभी कर सहित था, निविदा शर्त के मुताबिक चारो फर्मो से दर वार्ता करने पर क्र0 सं0–02 के फर्म के द्वारा भी उपरोक्त दर रू 29200.00 प्रति अदद सभी कर सहित कंपनी का लैपटॉप आपूर्ति करने हेतु अपनी लिखित सहमति दिये थे। दोनो कम्पनियों को Prachi infotech, Ashoka Tower Gurudwara road, Bhagalpur को कुल 14 लैपटॉप कार्यालय के पत्रांक–1064 दिनांक 14.08.15 एवं M/S-Satyendra Kumar, Laxmanpur, Jamalpur को कार्यालय पत्रांक–1063 दिनांक 14.08.15 को कुल 20 लैपटॉप को विभिन्न शर्तो पर आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था।

(क) लैपटॉप की आपूर्ति का किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या अग्रिम भुगतान देय नही होगा।
(ख) आपूर्ति किये गये उपकरण का गुणवता की जॉच के उपरान्त ही भुगतान की कारवाई की जाएगी।
(ग) आपूर्ति किये गये उपकरण के संचालन संबंधी जानकारी वार्ड पार्षदों को देनी होगी।
(घ) लैपटॉप का भविष्य में सही ढग से कार्य करने एवं इसकी वारंटी तथा रख–रखाव संबंधी एकरारनामा नन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा।
रोकड़बही के अनुसार आपूर्ति किये जाने के बाद फर्मो को व्यय निम्न प्रकार हुआ था।

(i) Prachi infotech

क्र. सं.	चेक सं./दिनांक	राशि	वैट की राशि 5 प्रतिशत	आयकर की राशि 2 प्रतिशत	कुल राशि
01	199125/20.08.15 29200 x 14 nos=408800	380593	20440	7767	408800

(ii) M/s Satyendra Kumar

क्र. सं.	चेक सं./दिनांक	राशि	वैट की राशि 5 प्रतिशत	आयकर की राशि 2 प्रतिशत	कुल राशि
01	A828511/20.08.15 29200x20 nos=584000	543700	29200	11100	584000
	Total	924293			

कटौती करने के बाद कुल रू 924293.00 दोनो फर्मो को भुगतान किया गया था।
संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि लैपटॉप क्रय में निम्नलिखित त्रुटियॉ/कमियॉ पायी गयी थी।

(i) निविदा के अनुसार लैपटॉप के सामग्रियों के क्षमता के समान क्षमता वाले सामग्रियों/लैपटॉप के आपूर्ति M/s Satyendra Kumar के द्वारा ही निविदा पत्र में दर्शाया गया था, जबकि Prachi infotech के द्वारा निविदा के अनुरूप क्षमता वाले लैपटॉप की आपूर्ति हेतु निविदा पत्र में दर्ज नही किया गया था। फिर भी Prachi infotech को निगोशिएशन के माध्यम से चयन किया गया था।

(ii) आपूर्ति किये गये लैपटॉप की गुणवता एवं निविदा में प्रकाशित क्षमता के अनुरूप आपूर्ति किये गये लैपटाप का किसी अच्छे तकनीकी से गुणवता की जॉच नहीं कराया गया था। जबकि आपूर्ति आदेश के शर्तो के कंडिका 02 में स्पष्ट है कि उपकरण की गुणवता की जॉच के उपरान्त ही भुगतान की कारवाई की जाएगी।

(iii) संचिका के अनुसार दोनो फर्मो से सुरक्षित जमा राशि बैंक में जमा नहीं किया गया था। जवाब में बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा ई–गर्वनेंस योजना के तहत महिला/पुरूष वार्ड पार्षदों को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु आवंटित राशि से विधिवत निविदा का प्रकाशन कर नेगोशिएशन के उपरांत दो फर्मो (1) M/s Satyendra Kumar (2) Prachi infotech से क्रमशः 20 एवं 14 लैपटॉप की आपूर्ति की गई एवं वार्ड पार्षदो को वितरित किया गया। नगर परिषद जमालपुर मे तकनीकी कर्मचारी/पदाधिकारी नही रहने के कारण Technical Specification के अनुरूप ही गई है। अतः तकनीकी गुणवता की जांच कर प्रतिवेदन अगले लेखापरीक्षा में जॉच हेतु उपलब्ध कराया जाय। प्रतिवेदन उपलब्ध होने तक व्यय किया गया राशि रू 924293.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0–8 जलापुर्ति योजना को ब्याज की राशि का भुगतान नहीं राशि रू 1.27 लाख

नगर विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1019 दिनांक 14.03.07 के अनुसार जमालपुर नगर परिषद को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पाईज जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन की कुल प्राक्कलित राशि रू 1070.26 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया गया था तथा जिसके अनुसार सरकार से कुल राशि रू 2921.5367 लाख का आवंटन प्राप्त होने के बाद नगर परिषद के द्वारा कुल राशि रू 2905.5467 विभिन्न चेको के माध्यम से कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियन्ता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल मुंगेर को हस्तांतरित किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	चेक संख्या/दिनांक	राशि
01	A 397706/23.07.07	100.00 लाख
02	A 328638/19.08.09	15.99 लाख (पी.ए.ई.डी. के द्वारा वापस की राशि विभाग को भुगतान
03	A 757098/28.06.12	341.1914 लाख
04	A 757597/27.04.13 A 836602/03.06.13	1200.00 लाख (600.00 एवं 600.00 लाख)
05	A 836685/19.07.14	1245.5467 लाख
06	A 757554/07.01.13	18.80859 लाख
		2921.5367 लाख

कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा निविदा आमंत्रण किया गया था जिसके आधार पर मेसर्स जे0आई0टी0एफ0 वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिन्दल आई0टी0एफ0 सेन्टर 28, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली 110015 इंडिया को कार्य आवंटित करते हुए पत्रांक 1803/09.12.10 को कार्यादेश निर्गत किया गया एवं दिनांक 08.01.11 को कार्य 18 माह में पूर्ण कराने हेतु कार्यादेश/एकरारनामा किया गया था। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थय प्रमंडल मुंगेर को कुल आवंटन की राशि रू 2921.5367 लाख के विरूद्ध मार्च 15 तक के वितीय प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार कुल ₹ 1940.3508 लाख ही व्यय किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. कार्यादेश की तिथि 09.12.10 से कार्य 18 माह यानि जून 12 तक में कार्य पूर्ण कर दिया जाना था लेकिन वित्तीय प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 04 वर्ष अधिक व्यतीत होने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया था।
2. संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के पत्रांक 379/डी दिनांक 10.04.14 के अनुसार कुल 130680 वर्ग फीट (3.00 एकड़) भूमि का आवंटित भूमि मूल्य ₹ 1599000 तथा संधारण शुल्क के मद में रू 291000 कुल 1890000 का भुगतान किया जाना था इसके विरूद्ध नगर परिषद के द्वारा ₹ 1595525 भुगतान किया गया है शेष राशि ₹ 294475.00 भुगतान नगर परिषद के द्वारा ब्याज सहित किया जाना था। इस प्रकार नगर परिषद के द्वारा वितीय वर्ष 2013–14 तक भुगतेय राशि की गणना निम्न प्रकार किया गया था।

क्र.सं.	विवरण	बकाया राशि
01	भूमि मूल्य	3475
02	संधारण शुल्क	291000
03	भू–लगान (5 वर्षो का)	15000
04	सीमांकन शुल्क	1000
05	सूद 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (चक्रवृद्धि)	81358
06	दण्ड सूद 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष	29448
		421281

भुगतान राशि ₹ 906679/17.10.14

बियाडा के बकाया राशि रू 294475 ससमय जमा किया जाता तो कुल 126806 सूद की राशि का अतिरिक्त भुगतान नही किया जाता। अतः सूद की राशि का भुगतान जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि ₹ 29.05 करोड़ रू मात्र से जमालपुर शहरी पाईप लाईन जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी लोक स्वास्थय प्रमंडल मुंगेर है। योजना की समीक्षा विभागीय सचिव एवं जिला पदाधिकारी के स्तर से की जा रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सरकार के स्तर से की जा रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य सरकार द्वारा जमीन क्रय हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण नगरपालिका निधि से ₹ 4.21 लाख का भुगतान ब्याज सहित किया गया। नगर पालिका कोष में भी पर्याप्त राशि न रहने के कारण भुगतान में विलंब हुआ तथा ₹ 1.27 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

अतः अतिरिक्त भुगतान किया गया राशि ₹ 1.27 लाख जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलकर नगर परिषद कोष में जमा कराया जाय।

कंडिका सं0–09 सफाई कार्य में अनियमित भुगतान राशि रू 48.10 लाख

नगर परिषद जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डो के छोटे एवं बड़े नालों की सफाई कार्य हेतु दिनांक 03.02.2013 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में निविदा का प्रकाशन कर निविदा/कोटेशन आमंत्रित किया गया। प्राप्त कुल चार निविदा दिनांक 14.02.13 को सफाई समिति के समक्ष खोला गया था जिसमें से क्रम सं0 01 के महावीर श्रमिक एवं निर्माण स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड (एन0जी0ओ0) को न्यूनतम दर ₹ 151.00 (एक सौ एकावन) प्रति मजदूर एवं ₹ 249.00 (दो सौ उनचास) रू प्रति टैलर (100 सी.एफटी) कूड़ा उठाव एवं निष्पादन कार्य हेतु कार्यादेश एवं एकरारनामा किया गया था।

पुनः नगर परिषद जमालपुर द्वारा प्रकाशित निविदा के आलोक में दिनांक 14.02.13 के निविदा शर्त एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.03.14 के पारित सं0–03 के आलोक में प्रतिदिन प्रति मजदूर का वर्तमान दर रू 168.00 स्वीकृति दी गई तथा नाला सफाई की अवधि विस्तार हेतु कार्यालय पत्रांक 303 दिनांक 11.03.14 को कार्य कराने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था तथा संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मार्च–13 से अगस्त–15 तक कार्य के अनुरूप कुल 4810056 संबंधित एन.जी.ओ. को भुगतान किया गया था। (परिशिष्ट– VIII)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. संचिका में संलग्न अभिश्रव के अनुसार मार्च–13 से अगस्त 15 तक में कुल 25572 मजदूर को कुल राशि रू 4810056 भुगतान किया गया था। जिसमें दिसम्बर 12 में कुल 2110 मजदूरों को कुल 354432 (2110 nos @ 168/nos) के अभिश्रव पर सफाई जमादार के द्वारा वार्ड नं0 अंकित नहीं किया गया था फिर भी वार्डो में मजदूरों को कार्य दर्शाकर कुल 354432 का भुगतान किया गया था।
2. श्रम विभाग बिहार पटना एवं ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्र के अनुसार एक मजदूर को मिटटी कटाई/उड़ाही एक दिन में कुल 80 सी.एफ.टी मिटटी कटाई/उड़ाही कर सकता है। जिसके अनुसार कुल 25572 संख्या के द्वारा कुल 2045760 सी.एफ.टी. (25572 nos x 80cft) मिटटी उड़ाही किया गया था जिसके लिए कुल 20453 ट्रैलर (2045760/ 100 cft/tractor) मिटटी की उड़ाही किया गया था। अतः कुल ₹ 2045760 सी.एफ.टी कचरा का भण्डारण नगर परिषद की सम्पति में किया गया था।

3. 2045760 सी.एफ.टी कचरा का उठाव रू 240.00 प्रति ट्रैलर/100 सी.एफ.टी कुड़ा का उठाव एवं निष्पादन कार्य राशि की स्वीकृति किया गया था जबकि एन.जी.ओ. के द्वारा कचरा का उठाव नही किया गया था।

जवाब में बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डो में छोटे एवं बड़े नालों की सफाई हेतु निविदा के माध्यम से एन0जी0ओ0 द्वारा सफाई कार्य कराया गया है जिसके विपत्र का भुगतान मजदूरों की संख्या एवं उपस्थिति के आधार पर वार्डो में कराये गये नाला सफाई कार्य हेतु किया गया है। माह दिसम्बर–15 के अभिश्रव में वार्ड संख्या अंकित करना सफाई जमादार द्वारा भूलवश छोड़ दिया गया है किन्तु उक्त वार्ड में वार्ड पार्षद एवं आम नागरिकों द्वारा सफाई के संबंध में सूचना दी गई है। वार्ड संख्या टिप्पणी पृष्ठ पर अंकित है। नालों से निकाले गये कचड़े का उठाव नगर परिषद के स्थायी सफाई कर्मियों द्वारा किया गया है। कचड़ा उठाव का कोई भुगतान नहीं दिया गया है। उठाये गये कचड़े को डम्पिंग ग्राउंड पर फेंका गया है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद के पास कचरा उठाव हेतु समूचित व्यवस्था नहीं रहने बावजूद कचरा का उठाव किया गया था जिसकी उच्चतर अधिकारी से जॉच किया जाय। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक व्यय किया गया राशि रू 4810056.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0– 10 संवेदको से विलम्ब दण्ड की वसूली नहीं रू 4.62 लाख।

नगर परिषद, जमालपुर के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा बी.आर.जी.एफ. चतुर्थ राज्य वित आयोग एवं 13 वीं वित आयोग योजनाओं की संचिकाओं एवं मापी पुस्तिका की जॉच के क्रम में पाया गया कि उन योजनाओं जिनमें मुख्यतः नाला निर्माण कार्य पिआउ निर्माण, पी.सी.सी. निर्माण एवं गैरेज निर्माण के कार्य किया गया गया था को विगत 60 दिनों एवं 90 दिनों के अन्दर पूर्ण नहीं किया गया था। (परिशिष्ट–IX)

ठेके की शर्त क्लाउज–02 के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने के विगत तिथि से विलम्ब होने पर प्राक्कलित राशि का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से (अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत) क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा। (अवधि की गणना निगत दिवस के पश्चात) यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तो पुनः क्लाउज–12 ए के अनुसार संवेदक तब तक क्षतिपूर्ति के लिए दावेदार नहीं होगा या दावा नही कर सकता जब तक अपरिहार्य परिस्थितियों उत्पन्न नहीं होती जैसे की प्राकृतिक आपदा दुश्मन का हमला, बाधित आवागमन जो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो।

उपर्युक्त योजनाओं की संचिका में संवेदक द्वारा समय वृद्धि हेतु किसी प्रकार का आवेदन भी नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा आपति

1. संवेदकों द्वारा कार्य विलम्ब से पूरा करने पर विलम्ब शुल्क ₹ 462400.00 संवेदको से वसूल नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि संवेदको से विलम्ब दण्ड की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया जाएगा। वसूली न होने की स्थिति में अगले विपत्र से कटौती कर ली जाएगी।

अतः विलम्ब दण्ड की वसूली राशि रू 462400.00 वसूलकर नगर परिषद निधि में जमा कराया जाय।

कंडिका सं0–11 लघु खनिज सामग्रियों के ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि रू 12.64 लाख

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज की ढुलाई को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के साथ चलानों की प्रति लिया जाना अनिवार्य है। चलानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।